



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं. NCST/DEV-1934/MP/5/2023-ESDW

दिनांक: 26.09.2024

सेवा में,

श्री ऋषव गुप्ता,  
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,  
जिला देवास,  
कलेक्टर कार्यालय,  
देवास, मध्य प्रदेश-455001,  
ई-मेल: dmdewas@nic.in  
फोन नं. 07272-252111

श्री सम्मत उपाध्याय,  
पुलिस अधीक्षक,  
जिला-देवास,  
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,  
उज्जैन चौराहा, ए. बी. रोड,  
देवास, मध्य प्रदेश-455001,  
ई-मेल: spdewas07272@gmail.com  
फोन नं. 07272-226110

विषय: गैर आदिवासी द्वारा गरीब आदिवासी की भूमि पर कब्जा किया जाने के संबंध में श्री रमेश, पिता बाबू लाल, ग्राम-हतनौरी, तहसील-कन्नोद, जिला देवास, मध्य प्रदेश की ओर से दिनांक 20.06.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ : दिनांक 04.10.2024 को 11:30 बजे होने वाली सिटिंग के संदर्भ में आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 20.09.2024।

महोदय/महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय पर यह कहने का निर्देश दिया गया है कि आयोग के माननीय अध्यक्ष (श्री अंतर सिंह आर्य) जी ने उक्त प्रकरण में आयोग मुख्यालय में दिनांक 04.10.2024 को 11:30 बजे होने वाली सिटिंग/सुनवाई को स्थगित कर दिया है, एवं उक्त सिटिंग/सुनवाई पुनर्निर्धारित कर दिनांक 04.11.2024 को 11:30 बजे, 6वां तल, न्यायालय कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सुनिश्चित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से आयोग के माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(एच. आर. मीना)  
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: [researchofficer-esdw@ncst.nic.in](mailto:researchofficer-esdw@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- श्री रमेश,  
पिता बाबू लाल,  
ग्राम-हतनौरी, तहसील-कन्नोद,  
जिला देवास, मध्य प्रदेश